उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

संख्या-8/2019/32/43-2-2019-15/2(2)/2014

लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2019

अधिसूचना/नियुक्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (अधिनियम संख्या-22, सन् 2005) की धारा-15 की उपधारा-(3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की संस्तुतियों पर उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-856/43-2-2005-15/2(2)-2003टी0सी0-04, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, धारा 16(2) और समवर्ती धाराओं के अधीन श्री प्रमोद कुमार तिवारी पुत्र श्री राजपति तिवारी, ए-4/4, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को अपना कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
2- मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
3- संबंधित अधिकारी।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
7- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
11- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
12- भारत के समस्त राज्यों के मुख्य सचिव।
13- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूतिखण्ड, लखनऊ।
14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
15- राज्य सम्पत्ति अधिकारी,उत्तर प्रदेश शासन।
16- संयुक्त निदेशक,प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0।
17- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।